46

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः- प.6(3)राज-6/2000/ 17 जयपुर, दिनांकः- 30-4-2001

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15) की धारा 90-क के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (x)-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का कृषितर भूमि में संपरिवर्तन) नियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का कृषितर भूमि में संपरिवर्तन) (संशोधन) नियम, 2001 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 2-क का संशोधन.- राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का कृषितर भूमि में संपरिवर्तन) नियम, 1961, जिन्हें इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है के नियम 2-क के उप-नियम (1) में, अभिव्यक्ति " किसी लघु उद्योग " के पश्चात और अभिव्यक्ति " या किसी पर्यटन इकाई " के पूर्व अभिव्यक्ति " या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग " अन्तःस्थापित की जायेगी ।

3. नियम 3 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

" परन्तु संपरिवर्तन के लिए किसी आवेदन की वहां अपेक्षा नहीं की जायेगी जहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली विनिधान संबंधी सशक्त समिति की अनुज्ञा से किसी सम्पूर्ण भू-खण्ड और उस पर संनिर्मित भवन का उपयोग अनन्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग स्थापित करने के लिए किया जाना हो। तथापि, प्रीमियम और नगरीय निर्धारण इन नियमों के अधीन संदेय होगा । सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली विनिधान संबंधी सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची राजस्व विभाग को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा । ऐसा संतोष होने पर और राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन

क्रमशः . . . 2

करने पर, भूमि राजस्व अभिलेख में इस प्रकार प्रविष्ट की जायेगी ।"

4. नियम 5 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 5 में, सारणी की क्रम संख्या 1 के सामने स्तम्भ 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति " लघु उद्योग " के पश्चात और अभिव्यक्ति " या किसी पर्यटन इकाई " के पूर्व अभिव्यक्ति " या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग " अन्तःस्थापित की जायेगी ।

राज्यपाल के आदेश से,

(एल० एन० शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री/राजस्व मंत्री/मुख्यसचिव/राजस्व सचिव ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
5. निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर्स) विभाग ।
6. निदेशक, आर०आर०टी०आई० ,अजमेर ।
7. निदेशक जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
8. निदेशक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक में प्रकाशनार्थ ।
9. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर ।
10. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग ।
11. विधि संहिताकरण विभाग ।
12. उप निबंधक , (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल , अजमेर ।
13. संयुक्त रजिस्ट्रार, जजेज लाइब्रेरी, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
14. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

मनोज/234